

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 13, सोमवार, शाके 1943-जनवरी 03, 2022 Pausa 13, Monday, Saka 1943- January 03, 2022

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 3, 2022

संख्या प.2(26)विधि/2/2019.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2022 का अधिनियम संख्यांक 1)

(राज्यपाल महोदय की अनुमित दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को प्राप्त हुई) कृषि विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।
 - (2) यह त्रन्त प्रवृत्त होगा।
 - 2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "कृषि विश्वविद्यालय की विधि" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम अभिप्रेत है; और
 - (ख) "अन्सूची" से इस अधिनियम की अन्सूची अभिप्रेत है।
- 3. कृषि विश्वविद्यालयों की विधियों का संशोधन.- (i) अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथा उल्लिखित विद्यमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

- (2) कोई भी ट्यक्ति, कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कृषि शिक्षा में, आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।
- (3) कुलपित, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपित द्वारा नियुक्त किया जायेगा-
 - (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
 - (ख) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या उसका नामनिर्देशिती;
 - (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, और
 - (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

- (4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।
- (5) खोजबीन समिति, कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।
- (6) कुलपित के चयन के प्रयोजन के लिए खोजबीन समिति, लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपित को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ संलग्न करेगी।
- (7) कुलपित की पदाविध उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

- (8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।
- (9) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदाविध समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (3) के

अनुसार भरी जायेणी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

- (10) जब कुलपित के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपित को करेगा, जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलपित के पद के कृत्यों के, राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपित द्वारा, निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।
- (11) कुलपित किसी भी समय, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपित को प्रस्तुत करके, पद का त्याग कर सकेगा।
- (12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।
- (13) जहां, कुलपित के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंश्दान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।
- (14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।
- (15) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
 - (16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-
 - (क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्णवैतनिक छुट्टी; और
 - (ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अधवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"; और

(ii) अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथा उल्लिखित विद्यमान धारा के पश्चात्, स्तम्भ सं. 5 में यथा उल्लिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"कुलपति का हटाया जाना.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस -धिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित कितयों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का

पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपित को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपित द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपित को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

- (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-
 - (क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;
 - (ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।"।
- 4. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 में नयी धारा 49-क का अंत:स्थापन.- महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 8) की विद्यमान धारा 49 के पश्चात् और विद्यमान धारा 50 से पूर्व, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- "49-क. अन्य विश्वविद्यालयों से व्यक्तियों और सम्पित्तयों के स्थानान्तरण की शक्ति.-कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, किसी भी समय किसी अन्य विश्वविद्यालय से, जिसका कि वह कुलाधिपति है, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो आदेश में अवधारित की जायें, इस अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय में-
 - (क) किसी भी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी या सेवक के; या
 - (ख) किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति या उसमें के किन्हीं भी अधिकारों या हितों के; या
 - (ग) प्राप्त, प्रोद्भूत या वचनबद्ध किसी भी निधि, अनुदान, अभिदाय, संदान, सहायता, या उपकृति के; या
 - (घ) विश्वविद्यालय के पक्ष में या विरुद्ध उपगत या विधिपूर्वक अस्तित्वयुक्त किन्हीं भी शोध्यों, दायित्वों या बाध्यताओं के; या
 - (ङ) किसी भी वसीयत, दान या न्यास को अन्तर्विष्ट करने वाली किसी भी विल, विलेख, या अन्य दस्तावेज के,

स्थानान्तरण के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा जो आवश्यक समझे जायें।"।

अनुसूची (धारा 3 देखिए)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

	राजस्थान राज-पत्र, जनवरा ७३, २०२२						
भाग	1 (元)	2000 का	धारा 24	धारा 24क			
1	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी	अधिनियम सं. 8					
	विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम,	31.					
	2000	2013 का	धारा 25	धारा 25क			
2	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,	अधिनियम सं. 20					
	जोबनेर अधिनियम, 2013	2013 क	धारा 25	धारा 25क			
-	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	अधिनियम सं. 21					
	असियाम 2013	2013	25	धारा 25क			
-	अधिनियम, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम,	अधिनियम सं. 22					
	2013	3114111					
L				- वाजागा			

प्रवीर भटनागर, प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II) NOTIFICATION

Jaipur, January 3, 2022

No. F. 2(26) Vidhi/2/2019.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Krishi Vishwavidyalayon kee Vidhiyan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (2022 Ka Adhiniyam Sankhyank 1):-

THE RAJASTHAN AGRICULTURE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) ACT, (Authorised English Translation)

(Act No. 1 of 2022)

(Received the assent of the Governor on the 30th day of December, 2021)

Act

further to amend the Agriculture Universities' Laws.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

- 1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agriculture Universities' Laws (Amendment) Act, 2020.
 - (2) It shall come into force at once.
 - 2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-
- (a) "Agriculture University Law" means Agriculture University Act specified in the Schedule; and
 - (b) "Schedule" means the Schedule to this Act.

- 3. Amendment of Agriculture Universities' Laws.- (i) The existing section as mentioned in column No. 4 against each of the Agriculture Universities' Laws as mentioned in column No. 2 of the Schedule, shall be substituted by the following, namely:-
- "The Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University.
- (2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is, a distinguished academician in agriculture education having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/ or academic administrative organization and, of a highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment.
- (3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from amongst the persons included in the panel recommended by the Search Committee consisting of-
 - (a) one person nominated by the Board;
 - (b) the Director General, Indian Council of Agricultural Research or his nominee;
 - (c) one person nominated by the Chancellor; and
 - (d) one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of Committee.

- (4) An eminent person in the sphere of higher education not connected with the University and its colleges shall only be eligible to be nominated as the member of the Search Committee.
- (5) The Search Committee shall prepare and recommend a panel of not less than three persons and not more than five persons to be appointed as Vice-Chancellor.
- (6) For the purpose of selection of the Vice-Chancellor, the Search Committee shall invite applications from eligible persons through a public notice and while considering the names of persons to be appointed as Vice-Chancellor, the Search Committee shall give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and adequate experience in academic and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chancellor.
- (7) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

- (8) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.
- (9) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (3), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (10).
- (10) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under subsection(9), the Registrar shall forth with report the matter to the Chancellor, who shall make,

on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the भाग 4 (क) office of the Vice-Chancellor by any other Vice-Chancellor of a State University.

- (11) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.
- (12) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.
- (13) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.
- (14) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.
- (15) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.
 - (16) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:
 - leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and
 - (b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate."; and

(ii) after the existing section as mentioned in column No. 4 against each of the Agriculture Universities' Laws as mentioned in column No. 2 of the Schedule, new section as mentioned in column No. 5 shall be inserted, namely:-

"Removal of Vice-Chancellor - (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if at any time, on the report of the State Government or otherwise, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, in consultation with the State Government, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may, in consultation with the State Government, order that till further order-

- (a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled:
- (b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in order.".
- 4. Insertion of new section 49-A, Rajasthan Act No. 8 of 2000.- After the existing section 49 and before the existing section 50 of the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000 (Act No. 8 of 2000), the following shall be inserted, namely:-
- "49-A. Power to transfer of persons and properties from other Universities.- The Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time, make such orders, as are deemed necessary for the transfer of-
 - (a) any officer, teacher, employee or servant; or
 - (b) any movable or immovable property or any rights or interests therein; or
 - (c) any fund, grant, contribution, donation, aid or benefaction received, accrued or promised; or
 - (d) any dues, liabilities or obligations incurred or lawfully subsisting in favour of or against the University; or
 - (e) any will, deed or other document containing any bequest, gift or trust,

from any other University of which he is the Chancellor to the University constituted under this Act on such terms and conditions as may be determined in the order.".

SCHEDULE (See section 3)

(See section 3)						
l	2	3	4	5		
1	The Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000	Act No. 8 of 2000	Section 24	Section 24A		
2 .	The Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner Act, 2013	Act No. 20 of 2013	Section 25	Section 25A		
3	The Agriculture University, Jodhpur Act, 2013	Act No. 21 of 2013	Section 25	Section 25A		
4	The Agriculture University, Kota Act, 2013	Act No. 22 of 2013	Section 25	Section 25A		

प्रवीर भटनागर, Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।